





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- 4/2019

बनाम.....

न्तर्गत धारा:-.....

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

कुल क्रिा 4 खडबा 1.06 हेक्टर भूमिमे ताफैलला मूल वाद भूमि की स्थान/बेचान/घस्तांतरण/भार युक्त नही करने आबत अजाबीगणो की आद्वारी निपेदासा से पाबन्द किया जाताहै साथ ही अजाबीगण ताफैलला कुल वाद अजाबी की कुब्जा कारत की भूमि मे क्रिा प्रकार की आदा उत्पन्न नही करे तथा खुदी खुदी नही करने आबत पाबन्द किया जाताहै यषानुसार उरनगर आरानी में मीके तथा रिजर्वि की यषारिअदि बनाने रखने आबत अजाबीगणो की ताफैलला मूल वाद निस्तारण पाबन्द किया जाताहै। पत्रावली फेलला सुमार है। नम्बर री कम होकर दाखिल दफतर है।  
निर्णय आज दिनांक 25/11/2019 को करे

इजलास सुनाया गया।

SDO, BHINAI  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)